<u>राजस्थान–सरकार</u>

<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)</u>

<u>पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या :– 46/2021

बउनवान

श्योजी पुत्र गंगाराम जाति बंजारा निवासी त्रिवेणी तहसील छीपाबड़ौद

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद

(रेस्पोडेन्ट)

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956</u>

उपस्थित :– 1– श्री बालमुकन्द गुर्जर अभिभाषक (अपीलांट)

2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

<u>निर्णय दिनांक 22.01.2021</u>

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार हरनावदाशाहजी, तहसील छीपाबड़ौद के प्रकरण संख्या 712/2015 किस्म धारा 91 एल.आर. एक्ट में तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.2015 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम बमोरी की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2072 में खसरा नम्बर 432 की रकबा 3 बीघा भूमि पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 60 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 150/– रूपये तावान से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 18.01.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने तथा बिना जवाब का मौका दिए एकपक्षीय कार्यवाही फरमाकर अपीलांट को दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है जो काबिले निरस्तनीय है। यह कि सरकारी भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है। पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को दंडित करने में कानूनी [illegible] है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री [illegible] अपीलांट को दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा [illegible] हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर अपीलांट को सुनवाई का मौका दिए बिना दंडित फरमाने [illegible] भूल की है। अपील की सुनवाई का श्रवणाधिकार न्याया[illegible] श्रीमान् को प्राप्त है। अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.11.2015 को अपास्त कर अपीलांट को दोषमुक्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.02.15 17:08:02 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया, जिसकी तामील करवाई गई। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला है। अपीलांट द्वारा पूर्व में भी सम्वत् 2070 रबी में इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 398/2015 निर्णय दिनांक 20.03.2015 की पालना में दण्डित किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा मौके से बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2071 में किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। प्रकरण में अतिक्रमित रकबा 3 बीघा अधिक है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मेरे द्वारा उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया, जिसकी तामील करवाई गई। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद में उपस्थित रहा है। प्रकरण में अतिक्रमित रकबा 3 बीघा अधिक हैं। हम पेरोकार सरकार के कथन से पूर्णतया सहमत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है ।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के प्रकरण संख्या 712/2015 में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 26.11.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.02.15 17:08:02 IST
Reason: SelfAttested